न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री गौरीशंकर पुत्र श्री हीरालाल
2. श्रीमति कमलाबाई पत्नि श्री गौरीशंकर, जातिगण सहर निवासी रारोती तहसील बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राज. कृषि प्रयोजनार्थ सींलिग अधिग्रहित भूमि आवंटन नियम 1973

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

उपस्थित :— 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 08.08.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रारोती की आराजी ख0नं0 175 रकबा 0.75 हैक्टर दिनांक 22.03.2005 को अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी, जिस पर दिनांक 08.09.2005 को आवंटी को कब्जा दखल देकर नामान्तरकरण संख्या 485 दिनांक 22.01.2016 से गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर स्वंय का कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई है। आवंटी अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर पहले वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर स्वंय काश्त करना था जो आवंटी द्वारा नहीं कर नियमों की अवहेलना की गई है। अतः उक्त आवंटित भूमि वापस सिवायचक दर्ज करने योग्य है।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र आवंटन पत्रावली तलब किये जाने इस आशय का पेश किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी को दि[illegible] किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 485 दिनांक 22.01.2006 से गैर खातेदारी [illegible] है व इसके पश्चात उप जिला कलेक्टर, बारां के आदेश क्रमांक [illegible] 2013 के अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति [illegible] संबंधित पत्रावली तल[illegible]माई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

हमने आवंटन संबंधी मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, बारां से तलब की। आवंटन पत्रावली प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर पहले वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर स्वंय काश्त नहीं कर राज. कृषि प्रयोजनार्थ सींलिग अधिग्रहित भूमि आवंटन नियम 1973 के नियम 17(4) की अवहेलना की है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर आवंटित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थीगण को आवंटित आराजी खसरा नंबर 887/175 रकबा 0.75 है. ग्राम रारोती पर उप जिला कलेक्टर, बारां के आदेश कमांक/केम्प सम्बलपुर/13/38 दिनांक 12.02.2013 से खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति के आधार पर खोले जाकर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 740 दिनांक 12.02.2013 से अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया जब अप्रार्थीगण को आवंटित आराजी पर खातेदारी प्रदान की जा चुकी है तो आवंटन शर्तों की पालना किया जाना प्रमाणित होता है। तथा प्रार्थी का यह कथन नितान्त असत्य है कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की है।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:06 IST
Reason: SelfAttested